उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-8/2019/684/94-स्टा०नि०-2-2019-700(394)/2017

लखनऊ : दिनांक 05 नवम्बर, 2019

अधिसूचना

आदेश

'' साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा, राज्य सरकार की ''लैण्ड पूलिंग स्कीम'' के पायलट परियोजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निष्पादित निम्नलिखित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करती हैं:-

1- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् और विकास प्राधिकरण तथा भूस्वामियों के मध्य निष्पादित भूमि विकास करार; और

2- भमि विकास के पश्चात पुनर्गठित भूमि/भूखण्डों के उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अथवा किसी विकास प्राधिकरण द्वारा भू-स्वामियों के पक्ष में निष्पादित हस्तांतरण विलेख;

परन्तु यह कि विकसित भूमि/भूखण्डों के मूल आवंटियों/आवास एवं विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों द्वारा निष्पादित अग्रतर विक्रय/हस्तान्तरण विलेख पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा।''

आज्ञा से,

वीना कुमारी

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-8/2019/684/स्टा०नि०-2-2019-700(394)/2017, दिनांक 05 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 05-11-2019 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियॉ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

संख्या-8/2019/684/स्टा०नि०-2-2019-700(394)/2017, दिनांक 05 नवम्बर,2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(6) प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, महात्मा गांधीमार्ग, लखनऊ।
(10) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(11) अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश जनपथ, लखनऊ।
(12) समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
(13) समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(14) समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(15) विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(16) भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
(17) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification No.8/2019/684/94-S.R.-2-2019-700(394)/2017. Dated, 05 November, 2019.

Notification

Order

No.8/2019/684/94-S.R.-2-2019-700(394)/2017

Lucknow : Dated, 05 November, 2019.

"In exercise of the powers under clause (a) sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897), the Governor is pleased to remit with effect from the date of the publication of this notification, stamp duty chargeable on following instruments executed by Uttar Pradesh Avas evam Vikas Parishad and Development Authorities, relating to implementation of pilot projects of Land Pooling Scheme of the State Government:-

1- Land development aggrement executed between Uttar Pradesh Awash evam Vikas Parishad and Development Authority and land owners; and
2- Conveyance deed of land/plots, reorganised after development, executed by Uttar Pradesh Awas evam Vikas Parishad on a development Authority in favour of land owners;

Provided that onward sell/conveyance deed of developed land/plots, executed by original alloties/Uttar Pradesh Awas evam Vikas Parishad and Development Authorities, shall be chargeable with the stamp duty as per rules."

By order,

Veena Kumari
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।